बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ
गढ़पर, (नालन्दा एक्स-रे कैम्पस), बिहारशरीफ – 803101
Email : dfonalandafdivision@gmail.com, Mob: 8986153336, Tel : 06112-235250

पत्रांक ...2579.../ अ०प्र०लि० दिनांक 30./ 6 ./2018

प्रेषक,

डॉ० नेसामणि के०, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

विषय : SBPDCL, नालन्दा द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत (बिहारशरीफ–एकंगरसराय–तेलहाड़ा) पथ के किनारे 33/11 के०भी० मुशहरी–जमुआवाँ पारेशन लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.45 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना का रा०क्र० 35/2018 (व०सं०) पत्रांक FC–616 दिनांक 19.06.2018।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय से Electrical Executive engineer, Electrical Project Division, SBPDCL, नालन्दा द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत (बिहारशरीफ–एकंगरसराय–तेलहाड़ा) पथ के किनारे 33/11 के०भी० मुशहरी–जमुआवाँ पारेशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.90 हे० का प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 23.06.2018 को प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय जाँचोपरान्त पाया गया कि अपयोजन होने वाले रकवा का आकलन करने के कारण जाँचोपरान्त **3.45 हे० वनभूमि अपयोजन** संबंधित आवश्यक प्रविष्टि भाग–II में अंकित कर अनुशंसा सहित प्रस्ताव भवदीय को समर्पित की जा रही है। जाँच में निम्नलिखित शर्त्तों की अनुपालन की गयी है।

I. परियोजना स्थल अतरामचक मोढ़ से हनेसपुर तालाब के बीच बिहारशरीफ–एकंगरसराय–तेलहाड़ा (एन०एच०–110) पथ अधिसूचित वनभूमि है, इसकी अधिसूचना की प्रति अनु०–1 में संलग्न की गयी है, जिसमें पथ के ROW में 33 के०भी० ट्रांसमिशन लाईन (33 KV TL) निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

II. परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाले तथा पातित होने वाले वृक्षों की गणना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वृक्षोपातन हेतु प्रस्ताव में उल्लेखित नहीं की गयी है। स्थलीय सत्यापन में पाया गया है कि वृक्षों की छटाई की आवश्यकता है। संयुक्त जाँच के क्रम में उपस्थित विद्युत कार्यपालक अभियंता के अनुसार 33 के०भी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण कार्य में कुछ पेड़ों की टहनियों को छाटने की आवश्यकता है, जिसमें किसी भी वृक्षों के पातन की आवश्यकता नहीं है। तदआलोक में किये गये Enumeration के अनुसार कुल 41 वृक्षों को उक्त परियोजना में छटाई करने की आवश्यकता है।

III. संलग्न नक्सा एवं मानचित्र का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित की गयी है। प्रस्ताव के अंत में संलग्न है, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नक्सा को अभिप्रमाणित की गयी है।

IV. परियोजना निर्माण के लिए अपयोजन होने वाले वनभूमि के क्षेत्रफल की गणना कर भाग–II में अंकित की गयी है। विस्तृत विवरणी अनु०–10 में संलग्न है। कुल अपयोजन होने वाले वनभूमि की क्षेत्रफल 3.45 हे० मात्र हैं। प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी निम्नलिखित है :

Sl. No.	Road Name	Starting Point	End Point	Distance (In K.M.)	Width (M)	Total Area (In Ha.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Biharsharif-Ekangarsarai-Telhara (NH-110)	Atramchak More GPS: N-25.22904, E-85.28316,	Near Hanespur Pond. GPS: N-25.21201, E-85.29508)	2.3 KM	15	3.45 ha.
	Total					**3.45 ha**

V. स्थल निरीक्षण की टिप्पणी अलग से अनु०–VIII संलग्न की गयी है।

VI. अपयोजन होने वाले वनभूमि का रकवा 3.45 हे० रैखिक होने के कारण 100 लॉह गैबियन के क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन स्वीकृति के साथ अनु०–3 में संलग्न की गयी है। नक्सा भाग–II के अनु०–4 एवं GPS Reading प्राक्कलन में अंकित है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के कारण 100 लॉह गैबियन के दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन स्वीकृति के साथ अनु०–5 में संलग्न की गयी है। नक्सा भाग–II के अनु०–6 एवं GPS Reading प्राक्कलन में अंकित है।

VII. परियोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी से संबंधित विवरणी पार्ट–2 में अंकित की गयी है।

VIII. परियोजना क्षेत्र के निर्माण स्थल से राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है।

IX. अपयोजित होने वाले वनभूमि का F.R.A.2006 का प्रमाण–पत्र समाहर्त्ता, नालन्दा से प्राप्त करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्ताव की माँग की गयी है। प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त होते हीं F.R.A.2006 का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु समाहर्त्ता, नालन्दा को अनुशंसा भेजी जायेगी।

X. परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि का GPS Reading प्रस्ताव के साथ अनु०–9 में संलग्न है।

XI. नोडल पदाधिकारी का पत्रांक FC-266 दिनांक 26.04.2017 का अनुपालन में अप्राप्त मूल अभिलेख के स्थान पर उसकी फोटो कॉपी को अभिप्रमाणित कर प्रस्ताव में संलग्न की गयी है।

XII. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल वृक्षारोपण युक्त होने का प्रमाण–पत्र अनु०–7 में संलग्न है।

अतः नोडल पदाधिकारी से दिनांक 19.06.2018 को प्राप्त निदेश का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रस्ताव 6 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30/6/18

(डॉ० नेसामणि के०)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।